फाईल सं. 76-आईएसडब्ल्यू/2016-सीएजी

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में प्रयोग हेतु एक वर्षीय तकनीकी सर्पोट के साथ ऑरेकल 12सी सॉफ्टवेयर लाईसेंस की आपूर्ति के लिए विज्ञापित निविदा पूछताछ

प्रधान निदेशक (सूचना प्रणाली)
भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय,
9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली-110002
दूरभाष: 23237736 फैक्स: 23237737

विषय-सूची

1. अस्वीकरण....................4

2. सीएजी के बारे में....................4

3. इस निविदा के बारे में....................5

3.1 कार्यक्षेत्र....................5

3.2 सामान्य शर्तें....................6

3.3 बयाना जमा राशि....................7

4. समय-अनुसूची....................8

5. निविदा की उपलब्धता....................8

6. बोली जमा करना....................9

7. बोली खोलना....................10

8. बोली मूल्यांकन....................10

8.1 वित्तीय बोली मूल्यांकन....................10

9. निष्पादन बैंक प्रतिभूति....................11

10. भुगतान शर्तें....................11

11. सुपूर्दगी....................12

12. वारंटी....................12

13. शास्ति गणना प्रकिया....................14

14. क्षतिपूर्ति....................15

15. प्रतिभूति....................15

16. समान्य निबंधन एवं शर्तें....................15

16.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्‌यम विकास अधिनियम....................17

16.2 दायित्व की सीमा....................17

16.3 दिवालियापन के लिए समाप्ति....................17

16.4 अप्रत्याशित घटना....................17

16.5 दिवालियापन के लिए समाप्ति और चूक....................18

16.6 मध्यस्थता....................19

16.7 समझौता....................19

16.8 लागू कानून....................19

17. अनुबंध...

अनुबंध 1. बोली, दरों आदि की वैधता...20
अनुबंध 2. बोली जमा करना...20
अनुबंध 3. बोली का सार...23

अनुबंध 4. अहर्ता मानदंड..24
अनुबंध 5. विस्तृत वित्तीय बोली...26
अनुबंध 6. ईएमडी तथा निविदा शुल्क...27

- **अस्वीकरण**

विज्ञापित निविदा पूछताछ दस्तावेज के लिए अनुरोध में दी गई जानकारी या इसके पश्चात बोलीदाता को उपलब्ध कराई गई जानकारी, चाहे वह मौखिक हो या दस्तावेजी रूप में या उनके किसी प्रतिनिधि, कर्मचारी या सलाहकार (सामुहिक रूप से-सीएजी प्रतिनिधियों) द्वारा, विज्ञापित निविदा पूछताछ दस्तावेज़ में लिखित निबंधनों और शर्तों पर बोलीदाता को उपलब्ध कराई गई है तथा कोई अन्य निबंधन और शर्तें जिनके अनुसार ऐसी जानकारी उपलब्ध की गई है।

यह विज्ञापित निविदा पूछताछ दस्तावेज कोई करार नहीं है तथा सीएजी प्रतिनिधियों द्वारा स्वत्वों के अतिरिक्त किसी पार्टी, जो उनके प्रस्ताव जमा करने के लिए अर्हक (बोलीदाता) है, के लिए कोई प्रस्ताव या आमंत्रण नहीं है। इस विज्ञापित निविदा पूछताछ दस्तावेज़ का उद्देश्य बोलीदाता को उनका प्रस्ताव तैयार करने में सहायता देने के लिए जानकारी उपलब्ध कराना है। इस विज्ञापित निविदा पूछताछ दस्तावेज का यह अभिप्राय नहीं है कि इसमें वह सारी जानकारी उपलब्ध है जिसकी प्रत्येक बोलीदाता को आवश्यकता हो। यह विज्ञापित निविदा पूछताछ दस्तावेज़ सभी व्यक्तियों के लिए शायद उपयुक्त न हो और सीएजी प्रतिनिधियों, उनके कर्मचारियों या सलाहकारों के लिए यह संभव नहीं है कि वे इस विज्ञापित निविदा पूछताछ दस्तावेज को पढ़ने वाली या प्रयोग करने वाली प्रत्येक पार्टी के निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या विशेष आवश्यकताओं पर विचार करें। प्रत्येक बोलीदाता को इस विज्ञापित निविदा पूछताछ दस्तावेज़ में जानकारी की शुद्धता, विश्वसनीयता तथा पूर्णता की जांच पड़ताल तथा विश्लेषण और जांच स्वयं करनी चाहिए तथा जहां भी आवश्यक हो, समुचित स्रोतों से स्वतंत्र सलाह प्राप्त करनी चाहिए।

सीएजी के प्रतिनिधि, उनके कर्मचारी तथा सलाहकार कोई अभिवेदन या वारंटी नहीं देते है और इस विज्ञापित निविदा दस्तावेज़ की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के प्रति किसी कानून, संविधि या नियमन के अंतर्गत जवाबदेह नहीं होंगे।

सीएजी प्रतिनिधि संपूर्ण अधिकार से, किंतु बिना किसी बाध्यता के इस विज्ञापित निविदा पूछताछ दस्तावेज में दी गई जानकारी को अद्यतित, संशोधित या अनूपूरक कर सकते है।

- **सीएजी के बारे में**

- दृष्टि विषय

साई का दृष्टि विषय यह दर्शाता है कि हम कुछ बनने के लिए क्या अभिलाषा करते हैं: हम सार्वभौम लीडर बनने और सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षण और लेखाकरण में राष्ट्रीय और

अंतर्राष्ट्रीय उत्तम पद्धतियों के दीक्षक और स्वतंत्र, विश्वसनीय लोक वित्त और अभिशासन पर संतुलित और समय से रिपोर्टिंग के लिए मान्य होने के लिए प्रयास करते हैं।

- उद्देश्य

हमारा मिशन हमारी वर्तमान भूमिका को प्रस्तुत करता है और आज हम क्या कर रहे हैं, इसका वर्णन करता है: भारत के संविधान द्वारा अधिदेशित उच्च गुणवत्ता लेखापरीक्षण और लेखाकरण के माध्यम से हम जवाबदेही, पारदर्शिता और अच्छे अभिशासन को उन्नत करते हैं और अपने पणधारियों, विधानमंडल, कार्यकारिणी और आम जनता को स्वतंत्र आश्वासन मुहैया करते हैं कि लोक निधियों का दक्षता से और अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है।

- नैतिक मूल्य

हम जो कुछ करते हैं उसके लिए हमारे कोर मूल्य मार्गदर्शक संकेतक हैं और हमारे निष्पादन, स्वतंत्रता विषयनिष्ठा, विश्वनीयता, सत्यनिष्ठा व्यावासायिक श्रेष्ठता, पारदर्शिता, सकारात्मक अभिगम के लिए हमें बेंचमार्क देते हैं।

- ## इस विज्ञापित निविदा पूछताछ के बारे में

3.1 कार्यक्षेत्र

जैसा कि नीचे वर्णित है, यह दस्तावेज़, **"भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में उपयोग हेतु एक वर्ष के वार्षिक तकनीकी सपोर्ट (एटीएस) के साथ ऑरेकल 12सी सॉफ्टवेयर लाईसेंसों की आपूर्ति" के लिए निविदा दस्तावेज़ है।**

क्र.सं.	उत्पाद	मेट्रिक	मात्रा
1.	ऑरेकल डाटाबेस 12सी स्टैंडर्ड एडिशन (पर्पेचुअल)	नेम्ड यूज़र प्लस	140
2.	ऑरेकल डाटाबेस 12सी स्टैंडर्ड एडिशन (पर्पेचुअल)	प्रोसेसर	14
3.	ऑरेकल 12सी वेबलॉजिक सूट (पर्पेचुअल)	नेम्ड यूज़र प्लस	140
4.	ऑरेकल 12सी वेबलॉजिक सूट (पर्पेचुअल)	प्रोसेसर	11

इस निविदा का उद्देश्य ऑरेकल सॉफ्टवेयर लाईसेंसों, एसएलए तथा समयानुसार अन्य संबंधित उपस्करों के अनुसार इसका क्रियान्वयन से संबंधित सीएजी यूज़र की आवश्यकताओं को पूर्ण करना है। सीलबंद तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्ताव, **अनुबंध: बोली की वैधता, दर आदि** में दी गई अवधि के लिए खोलने की तारीख से वैध, सॉफ्ट-वेयर की खरीद तथा अनुरक्षण के लिए ऑरेकल के प्राधिकृत रिसेलर से आमंत्रित किए जाते हैं।

इस निविदा से संबंधित शर्तें निम्नानुसार है:

1. आदेश उद्देश्य के लिए विक्रेता के चयन पर प्रयोगकर्ता विभाग का एकाधिकार होगा।
2. अंतिमीकृत दरें निविदा की वैधता के दौरान वैध रहेगी। तथापि, ओईएम के द्वारा किसी तकनीकी प्रगति के कारण या किसी अन्य कारण से दरों में आई कमी की जानकारी आपूर्तिकर्ता देगा।
3. विज्ञापित निविदा पूछताछ में भाग लेने हेतु बोलीदाता को सामान्य शर्तें पूर्ण करनी चाहिए।
4. सॉफ्टवेयर लाईसेंस **1(एक) वर्ष की वारंटी सपोर्ट (एटीएस)** के साथ होनी चाहिए।

3.2 सामान्य शर्तें

1. बोलीदाता को बोलीकर्ता कंपनी के नाम में निम्नलिखित की प्रति उपलब्ध अवश्य कराए:
   क) पैन कार्ड
   ख) वस्तु एवं सेवा कर पंजीकरण
2. बोलीदाता पिछले **3(तीन) वित्तीय वर्षों** के दौरान किसी **राज्य सरकार/केंद्र सरकार/ पीएसयू** द्वारा **ब्लेक लिस्टिड नहीं होना चाहिए।** संस्था के नॉन-ब्लैकलिस्टिंग को प्रमाणित करने के लिए एक हलफनामा भी जमा किया जाना चाहिए।
3. यदि बोली के साथ सभी आवश्यक सहायक दस्तावेज़ नहीं लगाए जाते है तो बोली निरस्त कर दी जाएगी।
4. किन्ही भी परिस्थितियों में आवश्यक दस्तावेज़ को बाद में जमा करने के हलफनामें पर विचार नहीं किया जाएगा। सीएजी पहले/जमा किए जा चुके दस्तावेजों पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अधिकार आरक्षित रखता है, तथापि, कोई नऐ दस्तोवज़ स्वीकार नहीं किए जाएगें।
5. इस निविदा में भाग लेने के लिए अहर्ता मानदंड अनुबंध IV - अहर्ता मानदंड में दर्शाए गए है।

3.3 बयाना राशि

1. बोलीदाता को सॉफ्टवेयर के अनुमानित मूल्य के @2% डिमांड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीदों, बैंकर्स चैक, बैंक गारंटी के रूप में किसी भी अनुसूचित व्यवसायिक बैंक से निर्धारित प्रपत्र में वेतन एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय प्र. महालेखाकार (लेखापरीक्षा) दिल्ली, नई दिल्ली के पक्ष में 6,00,000 (छः लाख केवल) की बयाना राशि (ईएमडी) जमा करना अपेक्षित है। यह सभी बोलीदाताओं से डीजीएसएण्डडी/एनएसआईसी/केवीआईसी/मांगकर्ता विभाग के पास उनके पंजीकरण के अनपेक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

2. अनुबंध बोली प्रस्तुतीकरण खण्ड में उल्लेखित के अनुसार **ईएमडी लिफाफे में डालकर भौतिक रूप से समय अनुसूचित खण्ड में** बोली प्रस्तुतीकरण की अन्तिम तिथि से पहले प्रस्तुत की जाए अन्यथा बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी।

3. लिफाफें में **अनुबंध बोली सार** की पूर्णतः भरी हुई प्रति भी होनी चाहिए।

4. बयाना राशि (ईएमडी), बिना किसी ब्याज के निम्न अनुसार प्रतिदाय होगी।

   (क) उन बोलीदाताओं के मामलें में जिनको आदेश नहीं मिला है, उनकी बकाया राशि (ईएमडी) बिना किसी ब्याज के एक माह में प्रतिदाय कर दी जाएगी।

   (ख) सफल बोलीदाताओं की ईएमडी सीएजी के साथ आपूर्ति आदेश के स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर उपरान्त प्रतिदाय कर दी जाएगी और आपूर्ति आदेश की स्वीकृति की तिथि से तीन माह की अवधि के लिए ईएमडी के समान मूल्य बैक गारंटी के रूप में प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करनी होगी। बीजी, वेतन एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय प्र. महालेखाकार (लेखापरीक्षा) दिल्ली के पक्ष में दिल्ली में देय होगी। बीजी, आदेशित सामग्री की सुपुर्दगी के पश्चात जारी की जाएगी।

5. आरेकल सॉफ्टवेयर की आपूर्ति हेतु एनएसआईसी के पास सिंगल प्वाईन्ट पंजीकरण योजना के अन्तर्गत पंजीकृत फर्म/सप्लायर्स, सक्षम प्राधिकारी द्वारा ईएमडी के प्रेषण से छूट के लिए माने जाएंगे। इस प्रकार के मामले में, **आरेकल उत्पाद की आपूर्ति के लिए एनएसआईसी से <u>वैध पंजीकृत प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति</u>** जरूर प्रेषित करें। एसएसआई इकाई के रूप में मात्र पंजीकरण फर्म को ईएमडी को प्रेषित करने की छूट से पात्रता नहीं देता है।

6. एनएसआईसी से वैध प्रमाण पत्र या उचित ईएमडी बैंक ड्राफ्ट राशि की अनुपस्थिति में ऐसी निविदाओं को सीधे तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

4. समय अनुसूची

क्र.सं.	घटना कार्यक्रम	तिथि	समय
1.	विज्ञापित पुछताछ जारी करना	21.7.2017/22.7.2017	3:00 बजे अपराहन
2.	बोली दस्तावेज के प्रस्तुतीकरण की अन्तिम तिथि	17.8.2017	3:00 बजे अपराहन
3.	पात्रता मानदंड का उद्घाटन	17.8.2017	3:30 बजे अपराहन
4.	योग्य/अयोग्य बोलीदाताओं का प्रदर्शन	25.8.2017	3:00 बजे अपराहन
5.	योग्य बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां खोलना	25.8.2017	3:00 बजे अपराहन

नोट:

(1) उपरोक्त समय अनुसूची में दी गई अन्तिम तिथि उपरान्त कोई बोली स्वीकृत नहीं की जाएगी।

(2) निविदा प्रक्रिया की अनुसूची में किसी प्रकार के परिवर्तन को हमारी वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा।

5. निविदा की उपलब्धता

1. इस कार्यालय की वेबसाईट http://www.cag.gov.in/ पर "निविदा एवं करार" टैब के अन्तर्गत संपूर्ण निविदा दस्तावेज उपलब्ध है।
2. भावी बोलीदाता जो इस निविदा में भाग लेना चाहते है वे उपयुक्त वेबसाइट से नि:शुल्क निविदा दस्तावेजों को देख और डाऊनलोड कर सकते है। तथापि, बोलीदाताओं को निविदा शुल्क ` 5000/- (पांच हजार) क्रोसड डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक जो दिल्ली में वेतन एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय, प्र. महालेखाकार (लेखापरीक्षा) दिल्ली के पक्ष में देय करने की आवश्यकता है, जिसे पात्रता शर्त के प्रमाण के साथ संलग्न किया जाएगा। बोलीदाता डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक की पिछली तरफ अपना नाम लिखेगें। बोली लागत किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं है।
3. बोलीदाता (ओं) निम्नलिखित दो श्रैणियों में पृथक रूप से अपनी दर सूची प्रस्तुत करेगें **(मोहरबन्द लिफाफे में)**

   (क) पात्रता शर्त के प्रमाण के साथ निविदा दस्तावेज की लागत मूल्य और बोली प्रतिभूति/ईएमडी राशि, और

(ख) संलग्न निर्धारित प्रपत्र में वित्तीय बोली

4. दोनों लिफाफों को पहले अलग से सील किया जाना चाहिए और उसके बाद इन्हें एक बड़े लिफाफें में सील करके रखा जाना चाहिए। सील दर सूची इस पते पर भेजी जाएगी।

प्रधान निदेशक (सूचना प्रणाली)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124

6. बोली प्रस्तुतीकरण

1. बोलियां, **अनुबंध: बोली प्रस्तुतीकरण** के अनुसार प्रस्तुत की जानी हैं।
2. भारत सरकार द्वारा बोली प्रस्तुतीकरण के दिन को छुट्टी घोषित करने के मामले में, आगामी कार्य दिवस को बोली प्रस्तुतीकरण करने का दिवस माना जाएगा। समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
3. निविदा बोली में उस व्यक्ति (व्यक्तियों) के टेलीफोन नम्बर (नम्बरों) सहित नाम, कार्यालय और कार्यालय समय के बाद के पते शामिल होने चाहिए जो उनके हस्ताक्षर के साथ बोली करने के लिए अधिकृत है।
4. हस्ताक्षर रहित एवं मोहर रहित बोली को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. प्रस्तुत किये जाने वाले बोली के सभी पृष्ट हस्ताक्षरित होने चाहिए और दस्तावेजों की सामग्री की प्रकृति के बावजूद बोलीदाता द्वारा क्रमिक रूप से क्रमांकित किये जाने चाहिए।
6. निर्धारित प्रपत्र और नामावली में प्रस्तुत नहीं की गई बोलियां सीधे तौर पर रद्द कर दी जाएगी।
7. अस्पष्ट बोलियां सीधे तौर पर अस्वीकृत कर दी जाएगी।
8. निवदा सूचना की शर्ते एवं निबंधन के किसी भाग को विक्रेता देरी से प्राप्त करता है या निविदा बोलियों के प्रस्तुतीकरण देर से करता है तो सीएजी उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगें।
9. टेलीग्राम/फैक्स/ई-मेल इत्यादि द्वारा प्रस्तुत किए गए पर विचार नहीं किया जाएगा। इस मामले में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
10. बोली में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/अभिलेखन/काटपीट विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए नहीं तो इसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा। सशर्त निविदाएं किसी भी आधार पर स्वीकार नहीं की जाएगी और सीधे अस्वीकृत कर दी जाएगी।

11. यदि कोई स्पष्टीकरण अपेक्षित है, तो उसे केवल पूर्व-बोली बैठक से पहले या उसके दौरान प्राप्त किया जाना चाहिए।
12. चयनित विक्रेता (विक्रेताओं) को आपूर्ति आदेशपत्र के जारी होने के बाद निविदा प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी।
13. सीएजी द्वारा दिए गये प्रपत्र के अनुसार उद्दत नहीं की गई बोली सीधे तौर पर अस्वीकृत कर दी जाएगी।
14. निविदा विनिर्देशन एवं शर्तें और निबंधन से उल्लंघन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
15. **अतिरिक्त निर्देशों के लिए "वित्तीय बोली मूल्यांकन" खंडों का सन्दर्भ लें।**

7. बोली खोलना

1. निविदा दस्तावेज मूल्य तथा बोली प्रतिभूति/ईएमडी राशि के साथ पात्रता शर्तों के प्रमाण को अगले मूल्यांकन हेतु विक्रेता के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 17.8.2017 में 3:30 बजे अपराहन को खोला जाएगा।
2. विक्रेताओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में अगले मूल्यांकन हेतु उन बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियाँ खोली जाएगी जो पात्रता मानदंड पूरा करते है तथा जिन्होने अपेक्षित निविदा फीस/ईएमडी राशि जमा की है। पात्र/अपात्र बोलीदाताओं की सूची भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय की वैबसाइट पर 25.8.2017 को 3:00 बजे अपराहन प्रदर्शित की जाएगी।
3. प्रत्येक बोलीदाता के एक प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपरोक्त बोली के खुलने के समय पर उपस्थित रहने की अनुमति होगी।

8. बोली मूल्यांकन

बोली खुलने के बाद सफल बोलीदाता(ओं) को अंतिम निर्णय की सूचना दिए जाने तक निविदा के मूल्यांकन के दौरान बोलीदाता(ओं) द्वारा कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। तथापि, समिति/इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि तथा सीएजी का कार्यालय बोलीदाताओं से कोई पूछताछ/स्पष्टीकरण मांग सकता है जो बोलीदाताओं को निर्धारित समय में प्रस्तुत करना है अन्यथा ऐसे चूककर्ता बोलीदाताओं की बोलियां निरस्त कर दी जाएगी।

8.1. वित्तीय बोली मूल्यांकन

1. सीएजी द्वारा संबंधित बोलीदाताओं को सूचित की जाने वाली निर्दिष्ट तिथि तथा समय पर उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में उन पात्र बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियाँ खोली जाएगी जो पात्रता मानदंड पूरा करते है तथा जिन्होंने निविदा फीस/ईएमडी राशि जमा

की है तथा उक्त का मूल्यांकन विधिवत गठित समिति द्वारा किया जाएगा। उन बोलीदाताओं की बोलियाँ 25.8.2017 को 3:30 बजे अपराहन बजे प्रात: खोली जाऐगी।

2. यदि सीएजी आवश्यक समझे, तो अंतिम आपूर्ति आदेश की अनुशंसा हेतु मूल वित्तीय बोलियों के खुलने से पहले संशोधित वित्तीय बोलियाँ मंगाई जा सकती है।
3. यदि संशोधित वित्तीय बोलियां मंगाई जाती है तो संशोधित बोलियाँ मूल बोलियों से अधिक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा बोली को निरस्त कर दिया जाएगा तथा ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।
4. वित्तीय बोली के संबंध में कोई मोल-भाव नहीं किया जाएगा।
5. दरें वित्तीय अनुबंध के अनुसार भारतीय रूपए में उद्धृत की जाऐगी तथा इस सॉल्यूशन हेतु यथा लागू सभी करों, उदग्रहणों आदि सहित होनी चाहिए।
6. सभी कीमतें 1 (एक) वर्ष के वारंटी सपोर्ट के साथ उद्धृत होनी चाहिए।
7. कीमतें भारतीय रूपए में ही उद्धृत होनी चाहिए तथा इसे अंकों तथा शब्दों दोनों में दर्शाया जाए। शब्दों में लिखे गए आँकड़े अभिभावी होगे।
8. प्रस्तावित सॉल्यूशन की आपूर्ति के लिए लागत सीएजी प्रयोक्ता के सभी करों सहित होगी।
9. बोलीदाताओं के पास माल एवं सेवा कर पंजीकरण होना चाहिए जैसा कि इस निविदा में लागू है
10. वित्तीय बोली में दर्शाए गए करों का भुगतान प्रचलित दर के आधार पर वास्तविक के अनुसार होगा।
11. वित्तीय बोली मूल्यांकन में सभी उद्धरणों का सकल कुल मूल्य शामिल होगा जैसाकि अनुबंध: **वित्तीय बोली** में दर्शाया गया है।

9. निष्पादन बैंक गारंटी

1. कुल आपूर्ति आदेश मूल्य का पांच प्रतिशत निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) के रूप में लिया जाएगा। पीबीजी परेषिती/मांगकर्ता (आदेश देने वाला प्राधिकरण) को प्रस्तुत की जाएगी। भुगतान एवं लेखा अधिकारी, प्र. महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, दिल्ली के पक्ष में दिल्ली में पीबीजी देय होगी। सरकारी हितों को सुरक्षित रखने हेतु पीबीजी की वैधता अवधि एक वर्ष की वारंटी अवधि जमा एक माह होगी।

10. भुगतान शर्तें

1. प्रयोक्ता विभाग केवल भारतीय रूपऐ में भुगतान करेगा।
2. एजेंसी को भुगतान वित्तीय बोली में निर्दिष्ट निबंधन एवं शर्तों के आधार पर देय किसी शास्ति की कटौती के बाद निम्नलिखित तालिका के अनुसार किया जाएगा।

3. भुगतान ऐसी किसी राशि की कटौती के अध्यधीन होगा जिसके लिए एजेंसी इम्पैनलमैंट या निविदा शर्तों के तहत दायी है। इसके अलावा, एजेंसी को किए गए सभी भुगतान आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार टीडीएस (कटौती पर काटा गया कर) की कटौती तथा भारत सरकार के नियमों के अनुसार लागू शास्ति तथा अन्य करों, यदि कोई है, के अध्यधीन होगें।
4. एजेंसी सभी पूर्ण दस्तावेजों सहित तथा लागू शास्ति आदि काटने के बाद सीएजी नई दिल्ली के नाम, जब एवं जहां अपेक्षित हों, तीन प्रति (सीएजी के संबंधित कार्य आदेश की संख्या, तिथि तथा आपूर्ति आदेश संख्या के ब्यौरे हो) में पूर्व प्राप्त बिल प्रस्तुत करेगा।
5. सहायक सेवाएं प्रयोक्ता के स्थान के आधार पर भारत में कही पर भी उपलब्ध कराई जाएगी, यदि आवश्यक हो। एजेंसी संसाधनों के भारत में किसी स्थान पर परियोजनाओं पर विनियोजन हेतु कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।
6. 100% भुगतान परेषिती द्वारा गुणवत्ता तथा मात्रा की विधिवत जांच करने के बाद सामग्री की पूर्ण स्वीकृति के प्रति किया जाएगा।

11. सुपुर्दगी

आपूतिकर्ता आदेश की तिथि से 4 सप्ताह के अंदर लाइसेंसों तथा मीडिया तथा प्रलेखन सहित आदेश किए गए उत्पादों की आपूर्ति करेगा। सुपुर्दगी को तब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक कि आदेश किए गए उत्पादों को खरीदार द्वारा आदेश के अनुसार जांच तथा स्वीकार नहीं कर लिया जाता।

12. वारंटी

वारंटी सपोर्ट से सम्बन्धित निबंधन एवं शर्तें निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

क्र. सं.	विवरण
1.	सम्पूर्ण सोल्यूशन 1 (एक) वर्ष की मुफ्त वारंटी सपोर्ट सेवा तथा प्रतिष्ठापन की तिथि से सॉफ्टवेयर अभिदान या सॉफ्टवेयर अभिदान समर्थन सेवा हेतु 12 माह तथा साईट पर सुपुर्दगी की तिथि से सॉफ्टवेयर के नए विमोचन के उन्नयन के तहत, जो भी पहले हो, होगा।
2.	वारंटी में आरेकल सॉफ्टवेयर लाइसेंस से संबंधित सभी मुद्दे जैसे नए वर्जन में उन्नयन, सॉफ्टवेयर तथा संबंधित सॉफ्टवेयर जैसे डाटाबेस तथा ऑपरेटिंग सिस्टम, की निष्पादन टयूनिंग को कवर किया जाना चाहिए।

3.	विक्रेता को उपयोगकर्त्ता विभागो द्वारा विकसित अनुप्रयोग के साथ उत्पाद के अद्यतित वर्जन के इन्टेग्रेशन को सुनिश्चित करना होगा।
4.	सर्विस के अलावा वारंटी तथा सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन अवधि के दौरान, सभी घटको के अनुरक्षण, सॉफ्टवेयर अप-ग्रेडेशन तथा बग हटाने, पेचो के संस्थापन अथवा किसी उत्पाद संवृद्वि को किसी नए सिक्योरिटी थ्रेट से निपटना आवश्यक है। विक्रेता को जब भी आवश्यक हो तब ऐसी **सभी आवश्यकताओं को बिना किसी अतिरिक्त लागत** के अनुरक्षित करना होगा।
5.	**विक्रेता को वारंटी अवधि के दौरान निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी होगी।**
5.1	वारंटी अवधि के दौरान संतोषजनक अनुरक्षण सेवाएं।
5.2	विक्रेता वेबसाईट/टेलीफोन/ईमेल के माध्यम से 24x7 हेल्पडेस्क सहायता सेवा प्रदान करेगा जहां उपयोगकर्त्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सके। उपयोगकर्त्ता को सिगंल प्वांइट कॉनटेक्ट दिया जाएगा तथा ओईएम के माध्यम से एक यूनिक ट्रबल टिकेट नम्बर दिया जाएगा जिससे वह एक सहायता पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत पर कार्रवाई का पता लगाने में सक्षम होगा।
5.3	एटीएस के अन्तर्गत, सिस्टम अथवा उसके एक सब-सिस्टम में किसी विफलता को पब्लिक एयर-ट्रांसपोर्ट सुविधाओं के साथ स्टेट कैपिटल तथा साइटों पर **शिकायत दर्ज करने के 72 घंटो की अधिकतम अवधि** के अन्दर सुधारा जाना चाहिए। इसके अलावा, **48 घंटो से ज्यादा** न होने वाले सामान्य ट्रांजिट समय को तभी स्वीकृत किया जाएगा यदि साइट पब्लिक एयर-ट्रांसपोर्ट सुविधाओं के बिना स्टेट कैपिटल तथा साइटो के अलावा अन्य स्थानों पर हो। जिसमें विफल होने पर, शास्ति सेक्शन: सगंणना प्रक्रिया में दी गई दर पर प्रति दिन प्रति सिस्टम शास्ति के प्रति रखी गई राशि से प्रभारित अथवा वसूल की जाएगी। यदि सुधार समय के अन्दर अवकाश/गैर कार्यकारी दिवस आता है तो अवकाश/गैर कार्यकारी दिवस को शास्ति सगंणना हेतु सगंणित नहीं किया जाएगा।
5.4	विक्रेता एटीएस अवधि के दौरान सीएजी/उपयोगकर्ताओ द्वारा दर्ज की गई शिकायतो पर कार्रवाई करेगा। विक्रेता द्वारा चूक के मामले में, **खण्ड: शास्ति संगणना प्रक्रिया** में निर्दिष्ट अनुसार शास्ति लगाई जाएगी।
5.5	वांरटी अवधि की समाप्ति पर, किसी उपार्जित ब्याज के बिना बीजी को यह संतुष्टि करने के पश्चात् जारी किया जाएगा कि उचित फ्री वारंटी सपोर्ट को सभी उपकरणो जैसा भी मामला हो, के लिए **1 (एक) वर्ष की एटीएस अवधि के दौरान** प्रदान किया गया है। यदि आवश्यक समझा जाए तो शास्ति को पहले ही देय भुगतानो से या उनके प्रतिभूति जमा से या प्रतिभूति जमा जारी करते समय दावे करके विक्रेता से वसूल किया जाएगा। एटीएस की समाप्ति के पश्चात्, सीएजी के पास

	सिस्टमो के पश्च वारंटी अनुरक्षण के लिए विक्रेता के साथ वार्षिक अनुरक्षण ठेका करने का विकल्प है।

टिप्पणी

क) यह सुनिश्चित करना विक्रेता का उत्तरदायित्व होगा कि सपोर्ट को एक वर्ष की वारंटी अवधि के दौरान प्रदान किया गया है।

ख) चयनित विक्रेता सभी निविदा शर्तों तथा वारंटी अनुरक्षण समर्थन मानने के लिए बिना शर्त के स्वीकृति देगा। वारंटी अवधि की समाप्ति पर, किसी प्रोदभूत ब्याज के बिना प्रतिभूति जमा को यह संतुष्टि करने के पश्चात् जारी किया जाएगा कि सभी मदो के लिए एक वर्ष की वारंटी अवधि के दौरान उचित समर्थन प्रदान किया गया है। यदि आवश्यक समझा जाए तो विक्रेता से उसके देय भुगतानो अथवा उनके प्रतिभूति जमा से अथवा प्रतिभूति जमा जारी करते समय दावे करके शास्ति की उपयुक्त राशि वसूल की जाएगी। वारंटी की समाप्ति के पश्चात्, सीएजी के पास उद्धरित मूल्य/बातचीत से तय मूल्य के अनुसार सिस्टम के पश्च वारंटी अनुरक्षण के लिए विक्रेता के साथ वार्षिक अनुरक्षण ठेका करने का विकल्प है।

13. शास्ति संगणना प्रक्रिया

नीचे तालिका विज्ञापित निविदा शर्तो का अनुपालन न होने से सम्बंद्ध शास्ति पर एक संक्षिप्त विवरण देती है:

क्रम संख्या	**शर्त**	**शास्ति**
1.	ठेका में विलम्ब	प्रतिदिन विलम्ब के खरीद आदेश अथवा आपूर्ति आदेश की शर्तों के उल्लंघन में 0.2% राशि की शास्ति। यदि सुपुर्दगी 30 दिन के बाद हो तो सीएजी के पास वैकल्पिक स्रोत के माध्यम से इसका क्रियान्वयन करवाने का विकल्प होगा। ऐसी चूक की लागत को बकाया भुगतान या बीजी/पीबीजी से विक्रेता से वसूल किया जाएगा।
2.	वारंटी	वारंटी सपोर्ट के किसी उल्लंघन में विलम्ब प्रति दिन खरीद आदेश के 0.2% राशि की शास्ति। यदि सिस्टम 30 दिनों से अधिक बन्द रहता है तो सीएजी के पास वैकल्पिक स्रोत के माध्यम से इसे सुधरवाने का विकल्प होगा। ऐसी चूक पर मरम्मत

		की लागत को बकाया भुगतान अथवा बीजी/पीबीजी से विक्रेता से वसूल किया जाएगा।
3.	देयता की सीमा	सभी उक्त मामलो पर विचार करके कुल देयता जो विक्रेता से उदग्रहित की जा सकती है, को कुल खरीद आदेश मूल्य, निष्पादन गारंटी तथा प्रतिभूति जमा से अधिक नहीं होना चाहिए।

14. क्षतिपूर्ति

1. सीएजी तथा उसके ग्राहक सगंठन भूतकाल/वर्तमानकाल/भविष्यकाल में किसी कानूनी दायित्वों की क्षतिपूर्ति से मुक्त रहेगा, एजेंसी अपने व्यवसायिको के साथ रह सकती है।
2. सीएजी तथा ग्राहक एम्पेनेलमेंट के निष्पादन के दौरान एजेंसी स्टाफ द्वारा हुई किसी मृत्यु अथवा चोट के कारण किसी देयता तथा एजेंसी और उसके स्टॉफ के बीच किसी विवाद के कारण किसी हानि या मुआवजे के लिए भी दोषमुक्त रहेगा।
3. एम्पेनेलड एजेंसी तीसरे पक्ष अधिकारों के किसी उल्लंघन में सीएजी क्षतिपूर्ति से मुक्त होगा चाहे वह पेटेंट अधिनियम अथवा आईपीआर के अन्तर्गत हो।

15. प्रतिभूति

1. एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डाटाबेस तथा ग्राहक संगठन की नीतियो के विषय में कोई भी सूचना उनके द्वारा नियुक्त श्रमबल द्वारा ग्राहक साइट से इलेक्ट्रानिक रूप अथवा अन्यथा सहित किसी रूप में नहीं ली गई है।
2. सीएजी/ग्राहक की परियोजनाओं पर कार्य करके एजेंसी या उसके नियुक्त कार्मिक उनके द्वारा निष्पादित कार्य पर किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकता। सीएजी/ग्राहक का उन्हें दिए गए तथा उनके द्वारा निष्पादित कार्य पर पूर्ण अधिकार होगा। न तो एजेंसी न ही नियुक्त व्यवसायिको के दावो पर डिलिवरेबल्स पर कार्रवाई की जाएगी।

16. सामान्य निबंधन एवं शर्ते

1. चयनित एजेंसी किसी भी परिस्थिति के अन्तर्गत किसी अन्य सहयोगी/फ्रेंचाइची/थर्ड पार्टी से कार्य नहीं करवाएगी। यदि ऐसा होता है तो सीएजी दण्ड लगाएगा जिसमें प्रतिभूति जमा का जब्त करना, बैंक गारंटी (अन्य कार्य आदेशों के लिए प्रस्तुत सहित) का भुनाना तथा चूक के लिए ठेके की समाप्ति सम्मिलित होगा।
2. सीएजी चयनित एजेंसी को अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय पूर्ण या अंशत: कार्य आदेश तथा/अथवा ठेके की समाप्ति के लिए लिखित नोटिस भेज सकता है। समाप्ति

के नोटिस में समाप्ति सीएजी की सुविधा के लिए है, कार्यआदेश और/अथवा ठेका के अन्तर्गत कार्य के निष्पादन की सीमा जो समाप्त की गई है और तारीख जिसको ऐसी समाप्ति प्रभावी हुई है, का विशेष उल्लेख होगा शेष भाग को रद्द करने और आंशिक रूप से पूर्ण सेवाओं के लिए सहमत राशि का चयनित एजेंसी को भुगतान करने का अधिकार सीएजी के पास है।

3. एजेंसी की कम्पनी अथवा कम्पनी की संबंधित डिवीजन किसी अन्य कम्पनी द्वारा टेक ओवर/खरीदे जाने की दशा में, सीएजी के साथ करार के तहत सभी बाध्यताएं उनके स्थानान्तरण के लिए बातचीत में नई कम्पनी/नई डिवीजन द्वारा अनुपालन के लिए हस्तांतरित की जानी चाहिए।
4. सीएजी द्वारा दिए गए कार्य आदेशों के निष्पादन में निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं के सभी पहलुओं के सम्मान के लिए सभी पैनल एजेंसियां स्वत: ही सीएजी के साथ सहमत हैं।
5. उपयोगकर्ता विभाग परिसरों पर इसके तैनात श्रमशक्ति की ओर से कार्यों द्वारा हुई तृतीय दल देयता एवं उपस्कर एवं सम्पत्ति की किसी भी हानि के लिए एजेंसी जिम्मेदार होगी। सभी उपस्कर ग्राहक संगठन के केवल न्यायसंगत व्यापार करने के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होंगे और किसी भी और उपयोग में ही नहीं लाए जाऐंगे।
6. इस मनोनयन के निष्पादन के दौरान एजेंसी के कर्मचारी (ओं) द्वारा हुई मृत्यु अथवा चोट के कारण या एजेंसी या इसके कर्मचारी (ओं) के बीच किसी भी विवाद के कारण किसी भी क्षति या मुआवजे के लिए किसी भी देयता के लिए सीएजी या इसका ग्राहक मुक्त है।
7. सीएजी या ग्राहक साइट पर ड्यूटी के दौरान एजेंसी द्वारा जारी पहचान कार्ड एजेंसी स्टाफ द्वारा अवश्य ही पहना जाना चाहिए। चाहे निजी या सार्वजनिक क्षेत्र हो, परिसर में प्रवेश एवं निकलते समय सुरक्षा कार्मिकों द्वारा कर्मचारियों की तलाशी/जांच की जाएगी।
8. बोली प्रक्रिया के दौरान नाम परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर सीएजी ध्यान नहीं देगा। ऐसी स्थिति में बोली सीधे तौर पर रद्द हो जायेगी।
9. सीएजी किसी भी सूचीबद्ध एजेंसियों या उपभोक्ता विभाग के पसन्द की एजेंसी को कार्य के आवंटन के लिए मुक्त है।
10. समस्या समाधान के लिए एजेंसी वृद्धि मैट्रिक्स प्रदान करेगी।
11. सभी बोली दस्तावेज, बोली के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्पष्ट रूप से हस्ताक्षरित एवं मोहरबंद होने चाहिए।
12. अनुबंध: बोली प्रस्तुतीकरण के अनुसार, हस्तरूप से प्रस्तुतीकरण के साथ उनके सबंधित प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा स्पष्ट रूप से हस्ताक्षरित एवं महोरबंद विज्ञापित निविदा पूछताछ की एक हार्ड प्रति भी बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जायेगी।

16.1. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम

1. यदि कोई बोलीकर्ता सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत आता है, तब सीएजी को पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति प्रदान की जानी चाहिए। इसके अलावा, बोलीदाता को कम्पनी की स्थिति में किसी भी परिवर्तन के बारे में सीएजी को सूचित करना चाहिए।
2. एनसीआईसी के साथ पंजीकृत एसएसआई इकाइयों को निम्न सुविधाएं दी गई है:
   क. निविदा सेटों को नि:शुल्क जारी करना
   ख. प्रतिभूति जमा के भुगतान में छूट

16.2. देयता की सीमा

विक्रेता की ओर से या सेवाओं के करने के दौरान विक्रेता की ओर से कार्यरत कोई भी व्यक्ति या कम्पनी की ओर से घोर लापरवाही या इरादतन दुराचार के मामले को छोड़कर विक्रेता द्वारा एंड यूजर/सीएजी को हुई क्षति के संबंध में विक्रेता एंड यूजर/सीएजी के लिए दायी होगा:

(i) किसी भी अप्रत्यक्ष या परिणामी हानि या क्षति के लिए; और
(ii) किसी भी प्रत्यक्ष हानि अथवा क्षति के लिए केवल इस सीमा तक

क. विक्रेता को इस संविदा के तहत देय कुल भुगतानों; या
ख. ऐसी देयता को कवर करने के लिए विक्रेता द्वारा अनुरक्षित किसी भी बीमे से प्राप्त प्राप्तियों के लिए विक्रेता हकदार हो सकता है;

(क) या (ख) में से जो भी अधिक हो के साथ-साथ विक्रेता द्वारा प्रस्तुत की गई प्रतिभूति जमा देयता की यह सीमा कार्य करने के लिए विक्रेता की ओर से कार्य कर रहे व्यक्ति या फर्म/कम्पनी के कारण तीसरे दलों को क्षति के लिए विक्रेता बाध्यता, यदि कोई हो को प्रभावित नहीं करेगी।

16.3. दिवालिएपन के लिए निरस्तीकरण

यदि विक्रेता/सूचीबद्ध बोलीदाता दिवालिया या अन्यथा सम्पत्तिहीन हो जाता है तो विक्रेता/सूचीबद्ध बोलीदाता को कोई भी मुआवजा दिए बिना चयनित विक्रेता को चार हफ्तों का लिखित नोटिस देने के द्वारा किसी भी समय सीएजी खरीद आदेश को समाप्त कर सकता है।

16.4. अप्रत्याशित घटना

मनोनयन की निरंतरता के दौरान, यदि किसी भी समय पर, मनोनयन के अंतर्गत किसी उत्तरदायित्व किसी पार्टी द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप में निष्पादन को रोका गया है या किसी युद्ध लड़ाई झगड़ा, लोक शत्रुता के कार्य, गृह विद्रोह, तोड़फोड़, आगजनी, विस्फोट,

महामारी, संगरोधन प्रतिबंध, हड़ताल, प्राकृतिक आपदा, तालाबंदी या दैवीय घटनाएं (यहां 'घटनाओं' के रूप में संदर्भित किया गया है) नोटिस देने वाली पार्टी के देश में उपयुक्त प्राधिकरण/व्यापार मंडल द्वारा पूर्णत: समर्थित ऐसी किसी घटना के होने की सूचना उपलब्ध दी गई, परंतु घटना होने की तिथि और इसके निरस्तीकरण के 21 दिनों के अंदर जहां तक संभव हो यह व्यवहारिक हो अन्य से छूट प्राप्त करने वाली पार्टी द्वारा दिया जाता है और इसके द्वारा किये गये उपाय उपयुक्त रूप से पार्टी को संतुष्ट करते हैं, ऐसी घटना के कारण, न तो पार्टी मनोनयन/निविदा को निरस्त करने के हकदार होंगी ऐसे किसी घटना के समाप्त होने या उनके रूक जाने के बाद जहां तक व्यवहारिक हो न ही कोई पार्टी ऐसे गैर निष्पादन या निष्पादन में विलंब के संबंध में अन्य के प्रति किसी नुकसान के लिए कोई दावा करेगी या और मनोनयन/संविदा के अंतर्गत सुपूर्दगियों को पुन: प्राप्त किया जाएगा, और खरीददार का निर्णय कि क्या सुपुर्दगियों को पुन: प्राप्त किया गया या नहीं, यह अंतिम और निर्णयक होगा, बशर्ते कि इसके अतिरिक्त कि यदि मनोनयन के अंतर्गत किसी बाध्यता से किसी पार्टी द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से निष्पादन को 60 दिनों की अवधि के लिए किसी ऐसी घटना के कारण को रोक या विलंबित कर दिया जाता है, खरीददार स्वेच्छा से मनोनयन को निरस्त कर सकता है।

16.5. दिवालियापन और चूक के लिए निरस्तिकरण

1. **दिवालियपन के लिए निरस्तीकरण**

   यदि एजेंसी दिवालिया या अन्यथा सम्पत्तिहीन हो जाती है तो एजेंसी को कोई भी मुआवजा दिए बिना एजेंसी को चार हफ्तों का लिखित नोटिस देने के द्वारा किसी भी समय सीएजी कार्य आदेश/संविदा को समाप्त कर सकता है।

2. **चूक का निरस्तीकरण**

   क. चूक तब होती है

   i. यदि कार्य आदेश में विनिर्दिष्ट समयावधियों के तहत या सीएजी द्वारा दिए गए किसी समय विस्तारण में कोई या सभी सेवाओं के वितरण में एजेंसी असफल होती है।

   ii. यदि एजेंसी संविदा/कार्य आदेश के अंतर्गत किसी अन्य दायित्वों पूर्ण करने में विफल रहती है।

क. उपरोक्त किसी भी परिस्थिति में यदि एजेंसी, सीएजी कार्यालय से चूक का नोटिस प्राप्त होने के बाद 30 दिनों की अवधि के अंदर सुधारात्मक कार्यवाही नहीं करती है (या सीएजी कार्यालय ने जो लिखित में प्राधिकृत किया है के बावजूद उससे अधिक समय लेती है), तो सीएजी कार्यालय ठेके/कार्य आदेश को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से रद्द कर सकता है। उपरोक्त, के अलावा, सीएजी कार्यालय अपने स्वयं के निर्णय पर निम्नलिखित कार्यवाही भी कर सकता है।

ख. सीएजी कार्यालय ऐसी शर्तों और ऐसी रीति में जिसे वो उचित समझे अन्य एजेंसी को समान सहायक सेवा हेतु कार्य आदेश हस्तान्तरित कर सकता है और कार्य पूर्ण करने के लिए सहायक सेवा से जुडे किसी भी अतिरिक्त व्यय हेतु चूककर्ता एजेंसी सीएजी कार्यालय को क्षतिपूर्ति करने के लिये उत्तरदायी होगी।

16.6. मध्यस्थता

1. यदि इस ठेके या इससे उत्पन्न या इससे संबंधित कोई भी परिभाषित कानूनी संबंध में या उससे व्युत्पन्न कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो पार्टी उस विवाद को मध्यस्थता और समझौता अधिनियम 1996 के अनुसार मध्यस्थता हेतु आइसीएडीआर मध्यस्थता नियमावली, 1996 के अंतर्गत प्रस्तुत करने के लिये सहमत हों।
2. मध्यस्थ (मध्यस्थों) नियुक्त करने का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र (आइसीएडीआर) को होगा।
3. अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र, आइसीएडीआर मध्यस्थता नियमावली, 1996 के अनुसार प्रशासनिक सेवाऐं प्रदान करेगा।

16.7. समझौता

1. यदि इस ठेके के संबंध में या इससे, संबंधित या इससे उत्पन्न किसी भी परिभाषित कानूनी संबंध में या उससे व्युत्पन्न कोई भी विवाद उत्पन्न होता है, तो पार्टियां उस विवाद का शांतिशील समाधान प्राप्त करने के लिये मध्यस्थता और समझौता अधिनियम, 1996 के अनुसार समझौते हेतु आइसीएडीआर समझौता नियमावली, 1996 के अंतर्गत समझौते हेतु सहमत हों।
2. मध्यस्थ (मध्यस्थों) नियुक्त करने का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र (आइसीएडीआर) को होगा।
3. अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान का केन्द्र, आइसीएडीआर समझौता नियमावली, 1996 के अनुसार प्रशासनिक सेवाऐं प्रदान करेगा।

16.8. लागू नियम

1. करार/ठेका/कार्य-आदेश, ऐसे वाणिज्यिक लेन-देन/प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुये समय-समय पर लागू कानून और बनाये गये नियमों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्थापित विधि और प्रक्रियाओं द्वारा शासित होंगे।

2. या तो ठेके के दौरान या ठेका पूर्ण होने के बाद एजेंसी और उनके नियुक्त कार्मिक सेवाओं, ठेके या व्यापार या सीएजी की पूर्व लिखित सहमति के बिना सीएजी के कार्य से संबंधित कोई भी मालिकाना या गोपनीय जानकारी प्रकट नहीं करेंगे।

17. अनुबंध

आवश्यक अनुबंध निम्नलिखित पृष्ठों पर दिये गये हैं।

अनुबंध 1. बोली की वैधता, दर, आदि

क्रम. सं.	**मद**	**मूल्य**
1.	बोली की वैधता	180 (एक सौ अस्सी) दिन
2.	आपूर्ति ठेके की वैधता	1(एक) वर्ष

अनुबंध 2. बोली प्रस्तुतीकरण

1. बोलीदाता को इस विज्ञापित निविदा पूछताछ में उल्लिखित समय-अनुसूची का पालन करना होगा। इस अनुसूची में उल्लिखित अंतिम समय-सीमा के बाद कोई बोलियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।
2. सभी बोली दस्तावेजों पर कम्पनी के प्राधिकृत हस्ताक्षकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। प्रस्तुत की जा रही बोली के सभी पृष्ठों पर बोलीदाता द्वारा क्रम संख्या अवश्य लिखा होना चाहिए।
3. बोलीदाता (ओं) को निम्नलिखित श्रेणियों में अलग-अलग (एकल मुहरबंद कवर में) अपनी बोलियां प्रस्तुत करनी होगी।

   क. निविदा दस्तावेज के लागत मूल्य सहित पात्रता शर्तों का साक्ष्य तथा बोली प्रतिभूति/ ईएमडी राशि, एवं

   ख. संलग्न निर्धारित प्रारूप में वित्तीय बोली

4. दोनों कवर को पहले सील किया जाना चाहिए तत्पश्चात इनको एक बड़े मुहरबंद कवर में रखा जाना चाहिए। मैनुअल बोली प्रस्तुतीकरण इस निविदा में विनिर्दिष्ट निर्धारित तिथि एवं समय से पहले किया जाना चाहिए। मुहरबंद बोलियां इस पते पर भेजी जाएंगी:

प्रधान निदेशक (सूचना प्रणाली)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय,
9 दीन दयाल उपध्याय मार्ग, नई दिल्ली -110002

5. सीएजी, निविदा सूचना के शर्तों एवं निबंधनों को प्राप्त करने या ऑनलाइन बोली प्रस्तुतीकरण में वेंडर की ओर से किसी भी देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

6. फैक्स/ईमेल इत्यादि द्वारा प्रस्तुत बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा। इस मामले में किसी भी पत्राचार पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

7. शर्तों वाली निविदायें किसी भी आधार पर स्वीकार नहीं की जाएंगी और इन्हें तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। यदि किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो इसे बोलियाँ प्रस्तुत करने से पूर्व प्राप्त किया जाना चाहिए।

8. उपरोक्त निर्धारित समय-सीमा के पश्चात कोई भी बोलियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।

9. यदि, बोली प्रस्तुतीकरण की तिथि भारत सरकार द्वारा छुट्टी घोषित की जाती है तो अगले कार्यदिवस को बोली प्रस्तुतीकरण की तिथि के रूप में माना जाएगा। समय सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

10. वेंडर द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली बोली के सभी पृष्ठों पर दस्तावेजों की विषय वस्तु की प्रकृति के बावजूद प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर,मुहर एवं क्रम संख्या दर्ज किया जाना चाहिए। अहस्ताक्षरित एवं बिना मुहर वाली बोली को रद्द किया जा सकता है।

11. बोलियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि से पूर्व किसी भी समय सीएजी द्वारा किसी कारणवश, चाहे वह इसकी अपनी पहल हो अथवा तत्संबंधी वेंडर द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण के जवाब में हो, एक संशोधन द्वारा निविदा दस्तावेज में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन को सीएजी की वेबसाइट http://eproc-CAG.nic.in पर अधिसूचित किया जाएगा और तत्संबंधी एजेंसियों द्वारा अपनी बोलियां तैयार करते समय इनका संज्ञान लिया जाना चाहिए।

12. तत्संबंधी एजेंसियों को अपनी बोलियां तैयार करने में संशोधन करने हेतु पर्याप्त समय देने के क्रम में सीएजी अपने विवेक से बोलियों की प्राप्ति की अंतिम तिथि बढ़ा सकता है। बोली प्राप्ति की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद किसी भी बोली में संशोधन नहीं किया जा सकता है। बोली प्राप्ति की अंतिम तिथि और निविदा में विनिर्दिष्ट बोली, वैधता तिथि समाप्त होने के बीच कोई भी बोली वापस नहीं ली सकती है। इस मध्यांतराल के दौरान बोली वापस लेने पर वेंडर की बयाना राशि जब्त की जा सकती है।

13. एजेंसियों को अपनी बोलियॉ तैयार करने एवं उसकी प्रस्तुतीकरण से संबंधित सभी व्यय स्वयं वहन करने होंगे। सीएजी किसी भी मामले में निविदाकरण प्रक्रिया के परिणाम से संबंधित उन लागतों हेतु न तो उत्तरदायी होगा और न ही यह उसके द्वारा देय होगा।

14. वेंडरों के मुद्रित नियम एवं शर्तें उनके बोली के भाग के रूप में नहीं मानी जाएगी। यदि निविदा दस्तावेज के नियम एवं शर्तें किसी वेंडर को स्वीकार्य न हो तो उन्हें अपनी बोलियों में ऐसे विचलनों का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए।

15. निर्धारित प्रारूप और नामावली के अनुसार प्रस्तुत न की गई बोलियों को रद्द किया जा सकता है।

16. अस्पष्ट/अपूर्ण /अपात्र बोलियों को रद्द कर दिया जाएगा।

17. बोली प्रस्तुतीकरण का यह अभिप्राय समझा जाएगा कि बोलीदाता द्वारा निविदा दस्तावेज में अपेक्षित विनिर्देशनों और अनुदेशों एवं शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया गया है, इसकी जांच कर ली गई है तथा इसके प्रभावों को पूरी तरह से समझ लिया गया है। इस निविदा दस्तावेज में दिए गए सभी खण्डों का अनुपालन न करने वाली बोलियों को रद्द कर दिया जाएगा। निविदा दस्तावेज में अपेक्षित सूचना प्रदान करने में विफलता या सभी प्रकार से निविदा दस्तावेज में महत्वपूर्ण रूप से जानकारी न देने वाली बोली के लिए सम्पूर्ण जोखिम वेंडर का होगा और परिणमास्वरूप बोली रद्द की जा सकती है।

18. बोलीदाता को अलग मुहरबंद लिफाफे में भौतिक रूप से बोली प्रस्तुत करनी है।

अनुबंध 3. बोली सार

बोली दाता का नाम		
निगमीकरण की तिथि		
पंजीकृत कार्यालय पता		
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता विवरण	नाम	
	पद	
	ईमेल	
	फोन	
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के सम्पर्क विवरण	नाम	
	पद	
	ईमेल	
	फोन	
माल एवं सेवा कर पंजीकरण		
पैन		

अनुबंध 4.   पात्रता मानदंड

क्रम सं.	**पात्रता मानदंड**	**अन्य मूल्य या प्रतिक्रिया समावेशन**	**जहां बोली को प्रमाण सहित संलग्न किया गया है; का संदर्भ**
1	बोलीदाता के पास **आईएसओ या आईईसी 19794-5** प्रमाण पत्र होना चाहिए।		
2	बोलीदाता उपरोक्त बोली में भागीदारी के पात्र होने के उद्देश्य से <u>ओरेकल से ओरेकल विनिर्माण प्राधिकरण फार्म (एमएएफ)</u> संलग्न करेगा।		
3	बोलीदाता को कम्पनी के पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति अवश्य प्रस्तुत करनी चाहिए। बोलीदाता को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत भारत में एक व्यक्तिगत कम्पनी पंजीकृत करनी चाहिए, और इस निविदा पूछताछ के जारी करने की तिथि से पूर्व <u>**कम से कम 3 वर्षों**</u> के लिए भारत में मौजूद होनी चाहिए। संकाय अनुमत नहीं है।		
4	बोली दाता के पास कानून के अन्तर्गत संस्था उपविधि (पंजीकृत फर्म के मामले में) और पंजीकरण का प्रमाण पत्र (पंजीकृत सहकारी संस्थाओं के मामले में), भागीदारी विलेख (भागीदारी फर्म के मामले में) होने चाहिए। प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रतिया प्रस्तुत की जानी चाहिए।		
5	क) बोलीदाता का औसत वार्षिक टर्नओवर 10,00,000/- (केवल दस करोड़ भारतीय रूपयें) के समान या इससे अधिक होना चाहिए। ख) बोलीदाता का ओरेकल प्रोडक्ट के लिए तीन वर्षों से अधिक से भारत में व्यापार चल रहा होना चाहिए। ग) बोलीदाता को विगत तीन वर्षों (आपूर्ति ओदश की प्रति संलग्न होनी चाहिए) के दौरान ` 2.00 करोड़ के आरेकल प्रोडक्ट की आपूर्ति की गई होनी चाहिए।		

	घ) संभावित बोलीदाताओं द्वारा विचाराधीन प्रस्तुत औसत वार्षिक टर्नओवर विगत तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए होना चाहिए बताये गये वित्तीय वर्षों के दौरान बोलीदाता के औसत वार्षिक टर्नओवर को प्रमाणित करने वाला सीए प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।		
6	बोलीदाता को इस निविदा के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के नाम पर पॉवर ऑफ अटॉर्नी प्रस्तुत करनी चाहिए।		
7	बोलीदाता को बोलीदाता कम्पनी के नाम पर निम्नलिखित की प्रति उपलब्ध करानी चाहिए: क) पैन कार्ड ख) माल और सेवाकर पंजीकरण		
8	बोलीदाता विगत **3(तीन)** वित्तीय वर्षों में किसी **राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम** द्वारा **ब्लैकलिस्टिड नहीं होना चाहिए**। संगठन के नॉन-ब्लैकलिस्ट होने को प्रमाणित करने के लिए एक वचनबद्धता प्रस्तुत की जानी चाहिए		

टिप्पणी:

- **सभी बोली दस्तोवज बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्पष्ट रूप से हस्ताक्षरित और स्टैम्प लगाये हुए होने चाहिए।**
- **केवल वे बोलीदाता जो निविदा** दस्तावेज की पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते है और नियमों और शर्तों को स्वीकार करते है उनके आगे के मूल्यांकन के लिए सूचीबद्ध किया जायेगा।

अनुबंध 5. **ब्यौरेवार वित्तीय बोली**

बोलीदाता का नाम ……………………………………………………………….
बोलीदाता का बिलिंग पता ……………………………………….
टिप्पणी:

- यह आवश्यक है कि बोलीदाता तालिका क में वित्तीय बोली जमा कराता है।
- **वित्तीय बोलियॉ केवल उन बोलीदाताओं की खोली जायेगी जिन्होने पात्रता मापदंड मे अर्हता प्राप्त की है।**
- **कीमतो को भारतीय रूपये में उद्धृत किया जाना चाहिए।**
- **लागत सभी करो, उदग्रहणों आदि सहित है।**
- **वित्तीय बोली में दर्शाये गये कर प्रचलित दर के अनुसार प्रभारित किये जाएंगे।**

तालिका -क: ब्यौरेवार वित्तीय बोली

(रूपये में)

क्रम सं.	**उत्पाद**	**मीट्रीक**	**मात्रा**	**यूनिट लाइसेंस मूल्य**	**कुल लाइसेंस मूल्य**	**माल और सेवा कर (अन्य कोई कर कृपया निर्दिष्ट करें)**	**कुल लाइसेंस लागत**	**एटीएस**	**माल और सेवा कर (अन्य कोई कर कृपया निर्दिष्ट करें)**	**कुल एटीएस लागत**	**कुल लागत (लाइसेंस+ एटीएस सभी करों सहित)**
1.	ओरेकल डाटाबेस स्टेन्डर्ड संस्करण (सतत)	नामित उपयोग कर्ता प्लस	140								
2.	ओरेकल डाटाबेस स्टेन्डर्ड संस्करण (सतत)	प्रोसेसर	14								
3.	ओरेकल वेब संगत समूह (सतत)	नामित उपयोग कर्ता प्लस	40								
4.	ओरेकल वेब संगत समूह (सतत)	प्रोसेसर	11								

टिप्पणी: कुल को आंकड़ों और शब्दो दोनों में लिखा जाना चाहिए। आकंड़ों और शब्दों में किसी भी विसंगति के मामले में, बोली अस्वीकृत किए जाने को दायी हैं।

कीमतों में सभी कर शामिल होंगे। उपरोक्त ईकाई कीमत में शामिल करों का प्रतिशत भी अलग से उल्लेख किया जाय।

अनुबंध 6. ईएमडी

क्रम सं.	**विवरण**	**राशि (₹ में)**	**ड्राफ्ट सं.**	**तिथि**	**बैंक**	**शाखा**
2.	ईएमडी	6,00,000/-				